न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 37/2024

अनवान : –

1. अलीयासखां पुत्र हमीद जाति कायमखानी निवासी वार्ड न0 6 भादरा त0 भादरा।

:—प्रार्थी

वनाम्

1 भंवरखां पुत्र हमीदखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न0 6 भादरा त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए

उपस्थिति :—भानूप्रकाश बैनीवाल प्रार्थीगण
श्री राजेन्द्र सहारण अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं0 11/6 के मु0 न0 6 के किला न0 23/3 की 0.051है0, किला न0 24/2 की 0.177है0, मु0 न0 9 के किला न0 3/5 की 0.063है0, किला न0 3/6 की 0.013है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 4/1 की 0.228है0, किला न0 4/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, कुल 0.557है0 नहरी मय खाला खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी के चिपते ही उत्तरी तरफ चन्द्रपति की चक 10 एमएसआर के खाता सं0 93/83 के मु0 न0 6 के किला न0 13/2 की 0.025है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि अन्य भूमि के साथ स्थित है। अप्रार्थीया चन्द्रपति के उत्तरी तरफ चिपते ही अप्रार्थी भवरखां की चक 10 एमएसआर के खाता सं0 79/68 के मु0 न0 6 के किला न0 3/2 की 0.190है0, किला न0 8/2 की 0.190है0, किला न0 8/3 की 0.177है0, किला न0 13/3 की 0.051है0 नहरी अन्य खातेदारी भूमि के साथ स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थी भवरखां के खेत के उत्तरी तरफ चल रहे रास्ता से होकर प्रार्थी अप्रार्थी भंवरखां की चक 10 एमएसआर के मु0 न0 6 के किला न0 3/2 में पश्चिमी तरफ व किला न0 8/2 में भी पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण व किला न0 8/3 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला न0 1323 में पश्चिमी तरफ पूरी लम्बाई में चलकर इसी किला के [illegible] तरफ चलकर चन्द्रपति की चक 10 एमएसआर के मु0 न0 6 के किला न0 [illegible] में पश्चिमी तरफ व किला न0 18/2 में पूरी लम्बाई में पश्चिमी तरफ [illegible] पश्चिमी तरफ पूरी लम्बाई में उत्तर से दक्षिण की तरफ चलकर प्रार्थी अपनी खातेदारी [illegible] चक 10 एमएसआर के मु0 न0 6 के किला न0 23/3 में प्रवेश करता है जो किला मु0 न0 6 के किला न0 8/3 की 0.177है0 में दक्षिणी तरफ चलने वाले रास्ता को छोडकर बाकी किलेजात में राजस्व रिकार्ड में पूर्व में पारित आदेश से उक्त रास्ता रिकार्ड में दर्ज हो चुका है परन्तु अप्रार्थी भंवरखां की चक 10 एमएसआर के मु0 न0 6 के किला न0 8/3 में स्थित 0.177है0 खातेदारी में दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ सवा आठ फीट चौडा रास्ता अर्थात 0.006है0 दर्ज होने से रह गया था। प्रार्थी की खातेदारी में उक्त किला न0 8/3 के आसा पास के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:31:45 IST
Reason: SelfAttested

किलेजात में रास्ता रिकार्ड दर्ज है परन्तु किला न0 8/3 में रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थी की आवागमन में काफी परेशानी होती है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी है कि हमारी खातेदारी में से कोई रास्ता स्वीकृत रास्ता नहीं है इसलिए हम इस रास्ता को बंद कर रहे है यदि अप्रार्थी अपनी खातेदारी में उक्त रास्ता बंद कर देते है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन नहीं कर पायेंगे तथा प्रार्थी की खातेदारी आवागमन के अभाव में काश्त से वंचित रह जायेगें। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में जाने के लिए सदामत से ही चालू उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया व अप्रार्थी सं0 2 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी चक 10 एमएसआर के मु0 न0 6 के किला न0 23/3 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी भंवरखां की चक 10 एमएसआर के मु0 न0 6 के किला न0 8/3 की 0.177है0 नहरी खातेदारी भूमि में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ के लिये सवा आठ फीट चौडा अर्थात 0.006है0 चौडा रास्ता रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए पक्षकारान ने सहमति अनुसार राजनामा पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज के बदले अप्रार्थी ने प्रार्थी से कोई लेन देन स्वीकार नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की सहमती अनुसार विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं0 79/68 के मु0 न0 6 के किला न0 8/3 की 0.177है0 नहरी खातेदारी भूमि में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ सवा आठ फीट चौडा अर्थात 0.006है0 चौडा रास्ता स्वीकृत कर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

आज दिनांक 05/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:31:45 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़